"ब्रिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2006—आश्विन 14, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मंगल सिंह नाई आत्मज श्री सिद्धनाथ, आयु 41 वर्ष, निवासी नया खुर्सीपार, संगम चौक, भिलाई-12, सब्जी मंडी भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर मंगल सिंह वर्मा रख लिया हूं तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मंगल सिंह वर्मा आत्मज श्री सिद्धनाथ के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मंगल सिंह नाई	मंगल सिंह वर्मा
आत्मज- श्री सिद्धनाथ	आत्मज- श्री सिद्धनाथ
निवासी-नया खुर्सीपार, भिलाई-12	निवासी-नया खुर्सीपार, भिलाई-12
संगम चौक, सब्जी मंडी भिलाई	संगम चौक, सब्जी मंडी भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/1291.—अध्यक्ष, श्री भगवती प्रसाद शुक्ला, श्री बजरंग उप. सहकारी भंडार मर्या. तिलक नगर, बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3409 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 205 दिनांक 20-2-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर श्री बजरंग प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. तिलक नगर, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/1292.—अध्यक्ष, मध्यनगरी प्राथमिक सह. उपभोक्ता भंडार मर्या. लाजपतराय नगर, वार्ड क्र. 20, बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3393 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 125 दिनांक 25-1-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर मध्यनगरी प्राथ. सह. उपभोक्ता भंडार लाजपतराय नगर, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/1293.—अध्यक्ष, मनोज कुमार दुबे, रामकृष्ण उप. सह. भंडार मर्या. सरकंडा वार्ड क्र. 42, बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3407 दिनांक 17-9-91 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 287 दिनांक 20-2-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर रामकृष्ण उप. सह. भंडार मर्या. सरकंडा, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/1294.—अध्यक्ष, श्री सीताराम जयसवाल, जय गणेश प्राथ. स. उप. भंडार अम्बेडकर नगर वार्ड क्र. 8, मगर पारा, बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3406 दिनांक 17-9-91 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 288 दिनांक 20-2-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जय गणेश प्राथ. सह. उपभोक्ता भंडार अम्बेडकर नगर मगरपारा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री .... को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/1295.—अध्यक्ष, श्री पंचम सिंह, गणेश नगर प्राथ. सह. उप. भंडार, बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3137 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1315 दिनांक 6-12-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर गणेश प्राथ. सह. उपभोक्ता भंडार मर्या. गणेश नगर, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/1358.—अध्यक्ष, श्री धरमलाल बजाज, पं. दीनदयाल प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. महारानी लक्ष्मी बाई नगर वार्ड क्र. 12 पंजीयन क्रमांक 3466 दिनांक 13-3-92 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 280 दिनांक 20-2-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर पं. दीनदयाल प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. महारानी लक्ष्मी बाई नगर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/1359.—अध्यक्ष, श्री भरत शरण मिश्रा, जागरूक प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. जबड़ा पारा वार्ड क्र. 1 बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3411 दिनांक 5-10-91 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 283 दिनांक 20-2-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जागरूक प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. जबड़ा पारा बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/1360.—अध्यक्ष, श्री घनश्याम मिश्रा, गुरू प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. राजेन्द्र नगर, बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3460 दिनांक 7-2-1992 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 279 दिनांक 20-2-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर गुरू प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. राजेन्द्र नगर, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/1361.—अध्यक्ष, श्री राम सिंह चन्देल, जय भारत प्राथ. सहकारी उप. भंडार मर्या. इंदिरा नगर, बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3370 दिनांक 28-1-91 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 125 दिनांक 25-1-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जय भारत प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. इंदिरानगर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.